न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–22 / 2025
GCMS NO:- 2025/148

दायर दिनांकः 20.06.2025
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

छोटू आ0 बजरंगा जाति ब्राह्मण नि0 भण्डेडा तहसील नैनवॉ हाल नि0 बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

दुर्गाशंकर उर्फ दुर्गेश आ0 सत्यनारायण जाति ब्राह्मण नि0 भण्डेडा तहसील नैनवॉ हाल नि0 बांसी वगै0। (कुल 17)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।
अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार पाण्डेय।

निर्णय दिनांक 20.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भण्डेडा के खसरा नम्बर 497 जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है पर जाने के लिए दिनांक 17.10.2017 को प्रार्थना पत्र धारा 251क के तहत् पेश कर रास्ता चाहा गया था जिसमे इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे सूनवाई की जाकर दिनांक 24.11.2021 को ग्राम भण्डेडा स्थित प्रार्थी की भूमि 497 पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 494, 490 मे से रास्ता दिया जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की अपील अप्रार्थी संख्या 7 के वारिसान द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा मे की गयी जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2024 को इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.11.2021 को निरस्त कर अपीलाण्ट्स को प्रकरण मे पक्षकार कायम करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 10.07.2024 की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार पाण्डेय द्वारा वकालातनामा पेश किया गया तथा प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी उपस्थित रहे।

हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 497 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ